रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2012/अग्रहायण 15, 1934
No. 269] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2012/AGRAHAYANA 15, 1934

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2012

फा. सं. 1-12/एससीआई.पैनल/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2012.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रारुप विनियम प्रकाशित करता है; और यह नोटिस देता है कि उक्त प्रारुप नियमों पर, इस अधिसूचना वाले राजपत्र के प्रकाशन की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे ।

आपत्तियों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी भी व्यक्ति से पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति से पहले प्राप्त किए जाए, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 में, प्रति जीवाणु और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय तत्वों से संबंधित उपविनियम 2.3.2 में, पैराग्राफ (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित साधन विनियोग द्वारा अवधारित किए जाने पर, परिमाणन की सीमा के आधार पर शहद में स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रतिजीवाणुओं की सीमा, स्तंभ (3) में विहित सीमा से अधिक नहीं होगी :-

सारणी

क्रम संख्या	प्रतिजीवाणु का नाम	(परिमाणन की सीमा) (पीपीबी)	उपयोग किया गया उपकरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्लोरामफेनिकोल	0.3	एलसी-एमएस/एमएस
2.	नाइट्रोफुरान्स	0.5	एलसी-एमएस/एमएस
3.	सल्फोनामाइडस	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
4.	स्ट्रप्टोमाइसिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
5.	टेट्रासाइक्लिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
क.	ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
ख.	क्लोरटेट्रासाइक्लिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
6.	एंपीसिलीन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
7.	एनरोफ्लोक्सासिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
8.	सिपरोफ्लोक्सासिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
9.	एरिथ्रोमाइसिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
10.	टाइलोसिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस"

एस. एन. मोहंती, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/187 O/12/असा.]

पाद टिप्पण :— मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग 3, खंड 4 तारीख 1 अगस्त, 2011 में अधिसूचना सं. 2-15015 /30/ 2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2012

F. No. 1-12/Sci.Panel/Notification/FSSAI/2012.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby publishes for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulation will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110 002.

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations, before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Amendment Regulations, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulations 2.3, in sub-regulation 2.3.2 relating to Antibiotic and other pharmacologically active substances, after paragraph (2) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(3) The limit of antibiotics mentioned in column(2), in Honey on the basis of Limit of Quantification, shall not exceed the limit prescribed in column(3) when determined by the instrumentation mentioned in column(4) of the table given below:-

TABLE

S.No.	Name of Antibiotics	(Limit of Quantification) (ppb)	Instrument used
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chloramphenicol	0.3	LC-MS/MS
2.	Nitrofurans	0.5	LC-MS/MS
3.	Sulphonamides	5.0	LC-MS/MS
4.	Streptomycin	5.0	LC-MS/MS
5.	Tetracycline	5.0	LC-MS/MS
a.	Oxytetracycline	5.0	LC-MS/MS
b.	Chlortetracycline	5.0	LC-MS/MS
6.	Ampicillin	5.0	LC-MS/MS
7.	Enrofloxacin	5.0	LC-MS/MS
8.	Ciprofloxacin	5.0	LC-MS/MS
9.	Erythromycin	5.0	LC-MS/MS
10.	Tylosin	5.0	LC-MS/MS

S. N. MOHANTY, Chief Executive Officer
[ADVT- III/4/187-O/12/Exty.]

Foot Note :—The principle regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated 1st August, 2011 vide notification No. 2-15015/30/2010, dated 1st August, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.